the DDA would make,, that is, the acquring authority, would be a certain percentage only? If they acquire a piece of land, say for a hundred thousand rupees, they should not sell that particular land for more than one lakh or ten thousand or something because your answer is so vague that fixing of prices of residential plots could depend upon the cost of land. What does it mean? It does not answer the real question. Suppose the cost of land is one lakh rupees and they fix it at 50 lakh rupees as they have been doing. They have acquired land for as much as one thousand rupees... (*Interruptions*) ...

MR CHAIRMAN: You talk about the present. This is about the future.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, it means present and future both. My submission is, this is very vague and this is delightfully vague that they will acquire land for one thousand and sell it for five lakhs of rupees. That is what the have been doing. My question is, what measures you are adopting to ensure that you do not carry on with the profiteering or racketeering the way it has been carried on? Do you think of disbanding the DDA and taking over the matter in the Ministry itself?

MR. CHAIRMAN: His question is, are you thinking of disbanding the DDA and taking over the whole thing in your Ministry?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, he is so affectionate that he wants to give additional headache to me, but I am not prepared for it. Sir, cost of the flat is computed on the basis of the land acquired. That means, one of the components is the price of the land prevailing then

SHRI N.K.P SALVE: Plus profit.

SHRI MURASOLI MARAN: No, the future development that may have to take place so that the land becomes available for construction.

SHRI N.K.P. SALVE: You mean, it is only the prime cost plus development and no profit is involved?

SHRI MURASOLI MARAN. Yes, that is what the DDA says. The DDA is supposed to be a non-profit-making organisation. Sir, they spend a lot of money in cross subsidy. For example, for economically weaker sections they sell at a low price, for the middle-income group slightly higher, for the high-income group still more higher and for higher-income group they auction it with an upset price. Because of the cross subsidy, they are not at all making any profit.

रोजगार गारंटी योजना के संबंध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

*144. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र की आदर्श रोजगार गारंटी योजना को अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जैसी कि वित्त मंत्री ने वर्ष 1990–91 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है सरकार देश के चुने हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन० आर० ई जी० पी०) शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री सभापति : उन्होंने महाराष्ट्र का पूछा है। उनका जो प्रश्न है वह विशेष रूप से महाराष्ट्र पर ही है। उन्होंने नाम

लिखा है इसलिए महाराष्ट्र का बता दें तो जरा आसान हो जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: जी।

श्री सभापति : इसलिए महाराष्ट्र का तो बता दें?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: महाराष्ट्र के बारे में क्या लिखा है?

श्री सभापति : उन्होंने लिखा है और पूछा है कि Government propose to implement the model Employment Guarantee Scheme of Maharashtra in other States also?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: जी हां। महाराष्ट्र में जो रोजगार गारंटी योजना चल रही है वह देश में एक आदर्श योजना मानी जा रही है और है भी और उसमें जितने भी 18 वर्ष से ऊपर उम्र वाले बेरोजगार लोग हैं उनको अपना नाम एंटर कराना पड़ता है और वे उसके लिए अपना नाम एंटर कराते हैं और 50 व्यक्ति जब कलेक्टर के सामने जाकर कहते हैं कि हमें काम चाहिए हम बेरोजगार हैं तो कलेक्टर को 15 दिन के अन्दर काम देना होता है और यदि कलेक्टर 15 दिन के अन्दर काम नहीं देता है तो उन्हें बेरोजगारी का भत्ता महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इस योजना पर 350 करोड़ रुपया खर्च होता है और वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वह राज्य टैक्स को लगा करके इसे वसूल करती है इस संबंध में उसमें मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उसमें जो खर्च होता है वह सैकड़ा 60 मजदूरी मिलती है और सैकड़ा 40 मैटीरियल पर खर्च होता है।

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : सभापति महोदय, यह जो जवाब दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि केवल सरकार को घोषणा ही करना है और कुछ काम नहीं करना है। यह तो अण्डर कन्सीडरेशन है, ऐसा तो हम मंत्री का जब जवाब आता है, तो यह लिखा आता है। कौन सा एरिया चुना जाना है, यह हमें दिया ही नहीं है। ऐसा अभी 6 महीने से ज्यादा हो गये हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम है और उसकी एक आदर्श स्कीम महाराष्ट्र में चल रही है। अब दो-चार महीने में केन्द्र में बननी चाहिये, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है और उत्तर ऐसा दिया है कि यह अण्डर कन्सीडरेशन है। यह उत्तर 4 वर्ष से दे रहे हैं। ऐसे तो वह कभी कम्पलीट नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अण्डर कन्सीडरेशन कौन कौन सा एरिया है, कुछ स्टेट चुन लिये हैं या स्टेट के अन्दर का कोई एरिया ले लिया है, , कितना एरिया ले लिया है और कितना पैसा खर्च करने का सरकार का इरादा है? यह कुछ नहीं बताया गया है। यह जो आंसर है, उससे ऐसा मालूम होता है कि इसमें सरकार को कुछ करना नहीं है। इस संबंध में सरकार को एक फिक्स्ड लिमिट लागू करनी चाहिये कि कब कंसीडरेशन पूरा होगा? इसके बारे में मंत्री जी बतायें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह साफ है और मैं इस संबंध में इतना ही कह सकता हूं कि 1990-91 में यह योजना लागू कर दी जायेगी। इसमें जो चुनने का प्रश्न है, तो हम लोग जो सूखा क्षेत्र है या बेरोजगारी भयावह है, उन इलाकों को चुनेंगे। लेकिन यह चुनने का काम भी राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद होगा, उनकी अनुशंसा पर ही चुन सकेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार मैं इस सदन में एक सवाल पूछ रहा हूं और मंत्री महोदय मेरी बगल में ही बैठे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सवाल मंत्री जी ने सुझाया है ?...(व्यवधान)...

श्री यशवन्त सिन्हा : यह तो मेरे सवाल से और उनके उत्तर से स्पष्ट होगा कि कितनी मिली भगत है। महोदय, मंत्री महोदय को और इस सदन को जैसाकि अवगत है कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार हम बनायेंगे। यह मैं मानता हूं कि वह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। अब आज हम 11 मई को इसके बारे में चर्चा कर रहे है। सरकार को बने हुए करीब 5–6 माह गुजर चुके है, इसलिये मुझे मंत्री महोदय के जवाब को देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक योजना है जो कतिपय क्षेत्रों में लागू की जायेगी, वह भी विचाराधीन है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का जो रूप देना है, वह संविधान में डालेंगे, तो वह एक अपनी जगह पर है। लेकिन उसको कार्यान्वित करना एक दूसरी बात है। तो क्या इस योजना के तहत सरकार की यह नीति है या कार्यक्रम है और अगर है, तो किस समय-सीमा में उसको बांधा जा रहा है कि जल्दी-से-जल्दी सरकार इस घोषित नीति को लागू कर पायेगी और काम के अधिकार को यथार्थ के रूप में जमीन पर परिणत करेगी ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मान्यवर, यह जो 19 मार्च का जो वित्त मंत्री का बजट भाषण है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एक बार में नहीं, धीरे-धीरे उसको लेंगे। लेकिन हम 1990–91 में जो चुने हुए जिलों को लेना चाहते है, वह करीब-करीब 120 को लेना चाहते हैं। जैसाकि मैं ने पहले ही कहा कि राज्य सरकार से बातचीत करने के बाद, उनकी राय जानने के बाद ही हम शुरू करेंगे। जहां तक काम के अधिकार को संविधान में लाने की बात है, वह तो अलग है। उसके लिये अलग सूचना चाहिये, तब फिर विस्तार से उस पर बात हो सकती है।

SHRI S. B. CHAVAN: May I ask for clarifications from the honourable Minister on two or three issues? The first issue is: What exactly is the reason for delay in this matter? What are the points on which the Government is considering? The Government having taken the decision that it would like to implement the scheme, what exactly are the difficulties which the Government is confronted with? That is the first point which I would like to understand. The second point is about the DPAP areas. Actually there is a DPAP which is already in existence. Does it meant that it is going to adversely affect the DPAP scheme which is already in existence? The third point is the Government having accepted that it is going to amend the Constitution for making this a fundamental right, I can understand the implementation of the scheme in phases. But is the Government thinking in terms of coming before the House for amending the Constitution to make the right to work a fundamental right?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: सभापति महोदय, मैं पूरा समझ नहीं सका आपका प्रश्न। आप एक-एक करके बोलें तो मैं एक-एक कर के जवाब दे दूंगा।

श्री एस० बी० चव्हाण: सर, सबसे पहले तो मैं जिसके बारे में जानकारी चाहूंगा, वह यह है कि ऐसा कौनसा मुद्दा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना और उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। आपने डिसीजन तो ले लिया है कि इस चीज को इंपलीमेंट वर्ष 1991 तक करना है और वर्ल्ड बैंक ने आपको भी उसके बारे में कुछ कहा महाराष्ट्र का मोडल आपके सामने है। तो कौनसा मुद्दा है, जिसके लिए आप कंसीडर कर रहे हैं? पहली चीज और दूसरी चीज... (व्यवधान)...

श्री प्रमोद महाजन: एक-एक का जवाब मंत्री जी देंगे।

श्री एस० वी० चव्हाण : फिर मुझे चेयरमैन साहब पूछने नहीं देंगे। इसलिए मैं कह देता हूं आप जवाब एक-एक करके दे देंगे।

श्री सभापति : ए, बी, सी करके बोलिए।

श्री एस०बी० चव्हाण : ठीक है, "बी" प्रश्न यह है कि पहले से ही जो आप 124 डिस्ट्रिक्ट में यह स्कीम इम्पलीमेंट एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर करना चाहते हैं, वहां पर डी पी०ए०पी० एरियाज है और वहां पर डी० पी० ए० पी० स्कीम लागू है आज, उसके ऊपर इसका प्रतिकूल परिणाम तो नहीं होगा? तीसरा सवाल, "सी" मैं जो पूछना चाहता हूं, वह यह है कि यहां पर गवनमेंट की तरफ से अमेण्डमेंट इस बात के लिए कबूल की गई है कि "राईट टू वर्क" यह फंडामेंटल राईट कर के हम मानते हैं और उसके लिए कंस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट यहां पर आना जरूरी है। हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें फेजेज में इसका इंपलीमेंटेशन हो सकता है, लेकिन यह अमेण्डमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट कब अमेण्डमेंट लाएगी?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जहां तक प्रश्न "क" का उत्तर है, यह तो एक सरकारी योजना है, जिसको राज्य-सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर के पूरा करती हैं। यह अकेली केन्द्र सरकार नहीं करती है या अकेली राज्य सरकार नहीं करती है, दोनों मिलकर करती हैं। इसलिए दोनों का परामर्श जरूरी है। मैंने यह भी कहा है कि उसके लिए परामर्श हम लोग राज्यों से कर रहे हैं, चुनी हुई जगहों की खोज राज्य कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा कि वर्ष 1990–91 में यह प्रारम्भ हो जायेगा और मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो योजना है, सरकारी योजना होती है, व्यक्तिगत तो होती नहीं कि जेब से पैसा निकाला और खर्च कर दिया। इसके लिए प्रोसेस होता है। मनमाने ढंग से से तो यह होगा नहीं, कुछ समय तो लगेगा ही इसमें। इसलिए प्रश्न "क" का उत्तर स्पष्ट है कि हम करना चाहते हैं, सरकार करना चाहती है, सरकार की मंशा साफ है कि वर्ष 1990–91 में चुनी हुई जगहों में इस काम को, इस योजना को हम चालू करेंगे। दूसरे का जवाब है–डी० पी०, ए० पी० पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर-तीन, जो आपने "काम के अधिकार" को संविधान में लाने की बात कही है, तो इस पर हम लोगों ने घोषणा कर दी है और हम इसको लाने जा रहे हैं, कुछ समय इसमें लगेगा।

एक माननीय सदस्य : कब लाएंगे? सवाल तो वही है।

SHRI S. B. CHAVAN: This is a totally new thing which the honourable Minister is stating here. Neither in the President's Address nor in the Finance Minister's Speech was there any question of participation by the State Government. The right to work has been accepted by this Government and now everything is being diluted. I would like to know whether it is a fact that in the President's Address and also in the Finance Minister's speech there is no mention that the State Governments have to participate in it. This is a new factor which is going to be introduced. May I know whether what I am suggesting is confirmed?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने काम के अधिकार के बारे में यह नहीं कहा। मैंने कहा कि काम शुरू करने के लिए जो आपने कहा, तो उसके बारे में मैंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रदेशों से सलाह चल रही है। तो किस-किस प्रदेश से सलाह चली और खास तौर से उत्तर प्रदेश से क्या सलाह चली या उनका उत्तर क्या है और उनकी अपेक्षा हर स्टेट में कितना भाग वहन होगा? मान लीजिए हजार रूपये का खर्च होगा, तो हजार रूपये में से केन्द्र कितना करना चाहेगा, प्रदेश कितना करना चाहेगा, किस रेश्यो में आप बांटेंगे? खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी प्रदेश से अब तक इसका जवाब नहीं आया है। जहां तक खर्च का है, खर्च दोनों का होगा जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत भारत सरकार जरूर देगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: श्रीमन्, उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत देगी कम से कम, यानी आपने रेश्यो निश्चित की है या नहीं की है? यदि की है तो कितनी की है और यदि नहीं की है तो 50 प्रतिशत किस आधार पर कह रहे हैं?

श्री सभापति: अभी तो चर्चा कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: स्कीम आपने बना दी है और पता ही नहीं है कि कितना केन्द्र करेगा, कितना प्रदेश करेगा?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: यह मामला प्लानिंग से संबंधित है, फाइनैंस से संबंधित है, हर चीज से संबंधित है।

SHRI PASUMPON THA. KRUTTINAN: Mr. Chairman, Sir, whether it is RLEGP, NREP, IRDP, JRY or NJY, these are centrally sponsored schemes and they are being implemented by the State Governments. So far as the implementation is concerned, some States are doing it properly and successfully. Tamil Nadu tops it. When the allotment is made, the population is taken into consideration. While some States are lagging behind, some States are going ahead. Will this be taken into consideration while allotting funds?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: यह बात सही है कि जिन राज्यों द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है और हम ज्यादा ध्यान देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मैं यह जानना चाह रहा था मंत्री महोदय से कि राज्य सरकारों को जो पत्र लिखे गए, वह किस तारीख को लिखे गए?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: इसकी अलग से सूचना चाहिए।

*145. [*The questioner (Shri B. L. Panwar) was absent. For answer* vide *Col.* 35 to 36 infra.]

MR. CHAIRMAN: Question No. 146.

कृषि मजदूरों के लिए कानूनी प्राधिकरणों का सृजन

*146. **श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, अनन्य रूप से कृषि मजदूरों के लिए कानूनी प्राधिकरणों का सृजन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अनेक राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने केवल कृषि के नियोजन में लगे कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निरीक्षक नियुक्त कर दिए हैं। 20 अप्रैल, 1990 को हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया गया था। यह भी बताया गया कि यदि आवश्यक हो तो संगठित क्षेत्र के लिए केवल श्रम निरीक्षकों का एक काडर गठित किया जाए जैसाकि कुछ राज्यों में किया गया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय, यह राज्य श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है, इसमें जो रिकमेंडेशंस उन्होंने सरकार को की है, मंत्री महोदय कृपया वह सदन को बताएंगे और उसके साथ-साथ क्या आपने इस सम्मे-